भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1174

10 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी और क्षेत्रीय नियोजन संबंधी राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना

1174 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 2024 में शहरी नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार दस लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में शहर आर्थिक विकास परिषद (सीईडीसी) स्थापित करने की सिफारिश को लागू करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार शहरों की आर्थिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए, समिति की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिश के अनुसार, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शहरी और क्षेत्रीय नियोजन पर एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि राज्य सरकारों के पास शहरी नियोजन सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण संसाधन उपलब्ध हों?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, टाउन नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

शहरी नियोजन संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ शहर स्तरीय आर्थिक विकास परिषद (सीईडीसी) और राष्ट्रीय शहरी क्षेत्रीय शहरी नियोजन प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है। सीईडीसी की स्थापना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में आती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक संगठन है। वर्तमान में, इस मंत्रालय के पास शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन के लिए एक अलग राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि जिनमें महिलाओं सहित समाज के सभी वर्ग शामिल हैं, की क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यकलापों में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को सहायता प्रदान कर रहा है। अमृत के तहत, 45000 पदाधिकारियों के लक्ष्य की तुलना में अब तक 57134 पदाधिकारियों को पहले से ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत ठेकेदारों, प्लंबरों, संयंत्र संचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में 4 संस्थानों को शहरी नियोजन एवं डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया है। ये संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ सिविल सेवकों, राज्य नगर नियोजकों, नगर निगम के अधिकारियों, व्यवसायियों/पेशेवरों, युवा छात्रों आदि को प्रमाणित प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। इन केंद्रों को प्रति केंद्र 250 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधियां प्रदान की गई है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण के लिए शहरी नियोजन के अमृत द्वारा वित्तपोषित केंद्र के रूप में 6 संस्थानों को भी नामित किया है। इन संस्थानों की भूमिका में नगरपालिका अधिकारियों/नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारियों को विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण देना, राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना तथा शहरी नियोजन में उनकी मदद करने की परिकल्पना की गई है।

*****